

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in contact no...-0141-2601727




क्रमांक F.7(149)Rajmes/Acad./NMC-III/MCI-LOP/2021/Part-1 8442 दिनांक 5/8/2022

आदेश

निम्नलिखित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में प्राधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	चिकित्सक शिक्षक	मेडिकल कॉलेज
1	डॉ निर्मला, सीनियर प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूती विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।	मेडिकल कॉलेज, बून्दी
2	डॉ लोकेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ आचार्य (फार्माकॉलोजी) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	मेडिकल कॉलेज, अलवर
3	डॉ मोहन सिंह, सीनियर प्रोफेसर (एनाटॉमी) एस.पी मेडिकल कॉलेज बीकानेर।	मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़
4	डॉ गोवर्धन सिंह मीना, सीनियर प्रोफेसर (पी.एस.एम) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	मेडिकल कॉलेज, दौसा
5	डॉ आर.सी मीना सीनियर प्रोफेसर (ऑर्थोपेडिक्स) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	मेडिकल कॉलेज, करौली


उपरोक्त चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य का कार्य सम्पादित करेंगे।


(गौरव चतुर्वेदी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक F.7(149)Rajmes/Acad./NMC-III/MCI-LOP/2021/Part-1 8442 दिनांक 5/8/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक, राजमेस।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजमेस।
5. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस।
6. अतिरिक्त निदेशक (अकादमिक), डीएमई/राजमेस।
7. वित्तीय सलाहकार, डीएमई/राजमेस।
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज बून्दी, अलवर, हनुमानगढ़, दौसा एवं करौली।
9. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्राधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा, जयपुर, बीकानेर।
10. सम्बन्धित नॉडल अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, बून्दी, अलवर, हनुमानगढ़, दौसा एवं करौली।
11. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग